

शिकायत निवारण दिनांक 22.04.10
अपील निर्धारण
परियोजना गोहद जिला भिण्ड (म0प्र)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	आं.बा. केन्द्र / उपआं. बा.केन्द्र का नाम	पद	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत का विषय	निराकरण
01	02	03	04	05	06	07
1.	भौनपुरा	भौनपुरा	सहा.	श्रीमती रंजनादेवी पत्नी गिर्राजसिंह तोमर	चयनित आवेदिका की पॉचवी की अंकसूची फर्जी है	चयनित आवेदिका की पॉचवी की अंकसूची की जाँच हेतु परियोजना अधिकारी गोहद द्वारा पत्र जारी किया है रिपोर्ट अप्राप्त है तत्समय तक चयन निरस्ती का कोई आधार नहीं बनता है ।
2.	बरथरा	बरथरा	कार्य.	श्रीमती सुर्कीति मुदगल पत्नी रामनरेश मिश्रा	चयनित आवेदिका श्रीमती सुषमा पत्नी बासुदेव का बी.पी.एल राशन कार्ड फर्जी है	चयनित आवेदिका के ससुर प्यारेलाल का नाम बी.पी.एल सूची में नाम निरस्त करने का अधिकार इस फोरम को नहीं है अतः आपत्ति अमान्य योग्य है ।
3.	शेरपुर	शेरपुर	कार्य	निकलेश उपाध्याय पुत्री रामेश्वर उपाध्याय	चयनित आवेदिका राजनश्री विवाहित होकर मेंहगांव निवासी है अतः स्थानीय ना होने से अपात्र है ।	आपत्तिकर्ता द्वारा चयनित आवेदिका के विवाह के विषय में अथवा अन्यत्र निवासी होने के संबंध में कोई सक्षम प्रमाण व प्रस्तुत नहीं किया गया है राजनश्री का मूलनिवास प्रमाण पत्र गाम शेरपुर का संलग्न है अतः आपत्ति निरस्त योग्य है ।
4.	खरौआ	खरौआ	उपकार्य	उर्मिला गुर्जर आवेदिका के स्थान पर श्यामसिंह पुत्र सोबरनसिंह गुर्जर उपस्थित हुये	उपआंगनबाड़ी केन्द्र खरौआ का पत्रक देखना चाहते हैं	शिकायत का विषय स समिति से संबंधित नहीं है नाही आवेदिका ने उपस्थित श्यामसिंह को सुनवाई हेतु अधिकृत किया है अतः आवेदन निरस्त योग्य है ।
5.	चम्हेणी	मिश्रीकापुरा	उपकार्य	श्रीमती विमला पत्नी उदयसिंह	चयनित आवेदिका रिकू राना पत्नी शिवराजसिंह	रिकू राना पत्नी शिवराजसिंह राना का मूल निवास प्रमाण पत्र मिश्रीकेपुरा का है

					राना मिश्री के पुरा की निवासी नहीं है ।	अतः आपत्ति निरस्त योग्य है ।
6.	कटुवांहाजी रुरीकापुरा	कुशशिलता अर्गल	कार्य	कु.शशिलता अर्गल	शिकायतकर्ता का चयन विवाहित व अन्यत्र निवास के कारण चयन निरस्त किया गया है जबकि वे विवाहित होते हूये भी पिता के पास ही ग्राम रुरीकापुरा में निवासरत है	शिकायतकर्ता द्वारा समक्ष में स्वयं स्वीकार किया गया कि उनका विवाह भिण्ड हो चुका है अतः उन्हें रुरी के पुरा का स्थानीय निवासी मान्य नहीं किया जा सकता अतः आपत्ति अस्वीकार योग्य है
7.	इटायली	गंगापुरा	उपकार्य	अंगूरी पत्नी बृजमोहन कुशवाह	चयनित आवेदिका अनीता पत्नी राजबीर स्थानीय निवासी न होकर घुसगवाँ ग्वालियर की निवासी है	चयनित आवेदिका श्रीमती अनीता पत्नी राजवीर के मूल निवास प्रमाण पत्र में गंगापुरा दर्ज है किन्तु रिपोर्ट अप्राप्त है एवं शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत को सिद्ध करने हेतु को सक्षम प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया अतः शिकायत निरस्ती योग्य है ।
8.	बकनासा बकनासा	बकनासा	कार्य.	बबीता पत्नी धर्मेन्द्रसिंह तोमर (मेघसिंह उपस्थित)	शिकायतकर्ता का नाम पथम सूची में था द्वितीय सूची में नाम हटा दिया गया	शिकायतकर्ता को लाला के पुरा के निवासी होने के कारण पूर्व में जिला आपत्ति निराकरण समिति द्वारा स्थानीय मान्य नहीं किया था किन्तु शिकायतकर्ता का ग्राम बकनासा का मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन में संलग्न है । अतः उन्हें स्थानीय निवासी मान्य किया जा सकता है
9.	बाडक.18 गोहद	बाड क.18 गोहद	आं.बा. कार्य.	कु.गीता भदौरिया	चयनित आवेदिका का दो वर्ष पूर्व अन्यत्र विवाह हो चुका है अतः स्थानीय नहीं है ।	शिकायतकर्ता ने शिकायत के विषय में दो निवासियों के राजपालसिंह, देवेन्द्रसिंह शपथ-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है किन्तु चयनित आवेदिका ने अपने पिता के आधार पर निवास प्रमाण प्रस्तुत किये है उसी आधार पर चयन किया गया है चयनित आवेदिका से विवाह के संबंध में

						शपथ पत्र लिया जाये गलत पाये जाने पर चयन निरस्त किया जावे ।
10.	गुरीखा	गुरीखा	कार्य.	श्रीमती लीलागुर्जर पत्नी बलवीरसिंह गुर्जर	चयनित आवेदिका श्रीहमूती पूजा शर्मा स्थालनीय निवासी नहीं है उनके पति का नाम ग्वालियर की मतदाता सूची में दर्ज है	चयनित आवेदिका पूजाशर्मा का मूल निवासी प्रमाण पत्र गुरीखा का है अतः पति का नाम ग्वालियर की मतदाता सूची में नाम होने से उन्हें अपात्र मान्य नहीं किया जा सकता आपत्ति अस्वीकार योग्य है ।
11.	बार्ड क्र.3 गोहद	बार्ड क्र.-3 गोहद	कार्य.	शोभावर्मा	चयनित आवेदिका अनीता कोशल सेमरपरा ग्राम पंचायत एण्डोरी की निवासी होकर स्थानीय निवासी है ।	चयनित आवेदिका के बी.पी.एल. राशिनकार्ड व विवाह बिच्छेद प्रमाण पत्र को सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से कराया जाये
12.	निबरौल	निबरौल इंदिराआवास कॉलोनी	उपकार्य.	रामवेटी पत्नी पारीक्षत	चयनित आवेदिका रामदेवी हरिजन कॉलोनी की निवासी है इंदिराआवास कॉलोनीकी नहीं है	चयनित आवेदिका रामदेवी निबरौल राजस्व ग्राम की ही निवासी है अतः स्थानीय मान्य किया जायेगा आपत्ति निरस्त योग्य है ।
13.	बरौली	बरौली	उपकार्य	सविता जॉर्ज पुत्री स्व. मुन्नालाल जार्ज	चयनित आवेदिका ललितापाल स्थानीय निवासी नहीं है जबकि शिकायतकर्ता स्थानीय निवासी है ।	चयनित आवेदिका ललिता पाल का नाम ग्राम बरौली की मतदातासूची में है जबकि शिकायतकर्ता सविता जार्ज का नाम गोहद की मतदाता सूची में है अतः आपत्ति निरस्ती योग्य है ।
14.	डॉंग	डॉंग	कार्य	लक्ष्मीनारायण राठौर	मनीषा राठौर ग्राम डॉंग की ही निवासी है	मनीषा राठौर के बिवाह संबंधी शिकायत पूर्व में प्राप्त हुयी थी अतः पुष्टिकरण हेतु कलेक्टर महोदय के न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर सुनवाई की जाना उचित होगा ।
15.	बडैरा	बडैरा मौ	कार्य	रानी जाटव पत्नी दिनेश जाटव	शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति की एवं बरीयता प्राप्त होने के बाद भी चयन ना करके सामान्य	शिकायतकर्ता को अनुसूचित जाति के 5 अंक प्रदाय किये गये है अंकों का निर्धारण तुलनात्मक पत्रक में सही पाया गया अतः आपत्ति निरस्त की योग्य है ।

					जाति की महिला की नियुक्ति की गयी है ।	चयनित आवेदिका सुनीता चौहान के बी.पी.एल.राशन कार्ड की जाँच कराई जाये ।
16.	छरेंटा	छरेंटा ऐनों आदिवासी बस्ती	उपकार्य	शान्ती पत्नी कुंअरपाल	शिकायतकर्ता बिकलांग एवं परित्यक्ता होने के बाबूद नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है ।	शिकायतकर्ता बिकलांग है किंतु बिकलांग को आरक्षण अथवा अंक दिये जाने का कोई प्रावधान शासन निर्देशों में नहीं है शिकायतकर्ता ने आवेदन में स्वयं को तलाकशुदा बताया है किंतु कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है आवेदन के साथ समान राशनकार्ड की दो छायाप्रतियाँ संलग्न है एक में उनका नाम है दूसरे में नहीं जो कि कूटरचित स्पष्ट होती है राशनकार्ड उनकी माँ के नाम है अतः विवाहित महिला को माँ के प्रमाण पत्रों का लाभ नहीं दिया जा सकता अतः आपत्ति निरस्ती योग्य है ।
17.	खरौआ	कीरतपुरा	उपकार्य	उषा पत्नी रामवीरसिंह	अन्य आवेदिका जिसका नाम का उल्लेख अनंतिम सूची में नहीं था उसे 54 अंक प्रदान करके चयन कर दिया गया	आपत्तिकर्ता उषा पत्नी रामवीरसिंह कीरतपुरा खरौआ के स्थान पर कीरतपुरा गौतमनगर गोहद को निवासी है अतः अपात्र है चयनित आवेदिका तीथश्री की आँठवी की अंकसूची व बी.पी.एल. राशनकार्ड की जाँच करायी जाये ।
18.	छीमका	हनुमाननगर	उपकार्य	नीतूभदौरिया पत्नी दिनेशसिंह	अंतिम सूची में हनुमाननगर में रिक्त पद छोड़ा गया जबकि शिकायतकर्ता स्थानीय निवासी थी और अंक भी सबसे अधिक थे	शिकायतकर्ता ग्राम छीमका की निवासी है जबकि हनुमान नगर मजरा है अतः शिकायतकर्ता को स्थानीय निवासी मान्य किया जाये व मेरिट आधार पर प्रथम स्थान पर चयनित होने योग्य है
19.	चंदोखर	रामपालकापुरा	उपकार्य	प्रीति पत्नी रणवीरसिंह	चयनित आवेदिका गीता देवी पत्नी रामदासव की समस्त अंकसूचियाँ फँर्जी होने के बाबजूद नियुक्ति	चयनित आवेदिका गीतादेवी पत्नी रामदास की अंकसूचियाँ प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत नहीं होती है यद्यपि जाँच हेतु जारीकर्ता संस्था को भेजी गयी है रिपोर्ट

					आदेश दे दिया गया	प्राप्त होने पर तदनुसार निर्णय लिया जायेगा आपत्ति निरस्ती योग्य है ।
20.	कठवाँहाज ी	चकझावलपुर	उपकार्य	ममता पत्नी जबरसिंह	चयनित आवेदिका उषा पत्नी राकेश	विकासखण्ड शिक्षाअधिकारी द्वारा चयनित आवेदिका उषा पत्नी राकेशपाल की 5 की अंकसूची फर्जी होने की पुष्टि हकी है अतः उषापाल का चयन निरस्त किया गया है किन्तु ममता पत्नी जबरसिंह की अंकसूचियों की भी जाँच करायी जाने योग्य है चूंकि अंकसूची में पिता के नाम में कटिंग व ओव्हर राइटिंग दर्षित है अतः तब तक उन्हें नियुक्ति आदेश प्रदाय नहीं किये जाने योग्य है ।
21.	कटुआंहाज ी	बगुलीकापुरा	उपकार्य	सावित्री पत्नी केशवसिंह	चयनित आवेदिका रजनी पत्नी सुरेन्द्रसिंह की अंकसूची फर्जी है	चयनित आवेदिका रजनी पत्नी सुरेन्द्रसिंह की अंकसूची की जाँच हेतु जारीकर्ता अधि कारी को पत्र प्रेषित किया गया है रिपोर्ट आने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी शिकायत निरस्ती योग्य है ।
22.	खेरिया जल्लू	नूरमपुरा	उपकार्य	सुनीता पत्नी भगवती प्रसाद	चयनित आवेदिका का बी. पी.एल. फर्जी है	चयनित आवेदिका श्रीमती आशा बिनौरिया का बीपी.एल. राशनकार्ड मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद ने जारी किया है अतः जाँच योग्य है ।
23.	खेरियाजल लू	नूरमपुरा	उपकार्य	उर्मिला पत्नी अविलाखसिंह जाटव	शिकायतकर्ता को बिकलांग का आरक्षण नहीं दिया है आशाबिनौरिया की अंकसूची फर्जी है बी. पी.एल.कार्ड फर्जी है मतदातासूची में नाम नहीं है	बिकलांग को आरक्षण देने का शासन निर्देशों में प्रावधान नहीं है आशा बिनौरिया की अंकसूची व बी.पी.एल. राशनकार्ड जाँच योग्य है ।
24.	बिरखडी	बिरखडी	सहा.	सगुनीवाई पत्नी बाबूराम	चयनित आवेदिका राजकुमारी पत्नी दिलीपकुमार की अंकसूची	चयनित आवेदिका की अंकसूची की जाँच कराये जाने योग्य है ।

					फर्जी है ।	
25.	टूण्डीला	टुण्डीला	सहा	सत्यवती पत्नी प्रहलादसिंह	अनंतिम सूची व अंतिम सूची में शिकायतकर्ता का नाम होने के बाद भी नियुक्ति आदेश रेखा पत्नी बिजयराम को दे दिया गया	शिकायतकर्ता कु.सत्यवती का विवाह जौरी ब्राह्मण में हो चुका है अतः मतदाता सूची 09-10 में उनका स्वयं का नाम होने से वे स्थानीय ना होने के कारण अपात्र है शिकायत निरस्ती योग्य है ।
26.	गोहद बार्ड 17	गोहद बार्ड-17	सहा.	अखिलेश पत्नी अशोक रावत	अखिलेश पत्नी अशोक रावत शिकायतकर्ता ने बार्ड क्र.17 गोहद के लिये आवेदन किया था किंतु उनका आवेदन कीरतपुरा खरौआ में शामिल कर दिया गया	शिकायतकर्ता के आवेदन पर कीरतपुरा ग्राम पंचायत खरौआ स्पष्ट अंकित है अतः आवेदन कीरतपुरा, खरौआ में मान्य किया गया जो सही है अतः आपत्ति निरस्ती योग्य है शिकायतकर्ता ने शिकायत के प्रमाण के रूप में पावती भी प्रस्तुत नहीं की है
27.	निबरौल	निबरौल	सहा	योगेन्द्रसिंह	चयनित आवेदिका श्रीमती काजल किरण पत्नी होतमसिंह निबरौल निवासी ना होकर गोहद की निवासी है ।	चयनित आवेदिका काजल किरण यादव का निबरौल का मूल निवासी प्रमाण पत्र आवेदन में संलग्न है एवं शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के संबंध में कोई सक्षम प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः शिकायत निरस्ती योग्य है ।